



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224529
CG-DL-E-18012021-224529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]
No. 218]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 238(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मुंबई शहर परिवहन परियोजना—III A के अंतर्गत “कल्याण-बदलापुर तीसरी एवं चौथी लाइन (१४.०५ कि.मी)” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु ठाणे जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. एमटी/डब्ल्यू/366/एमआरविसि - पीएच.III]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th January, 2021

S.O. 238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**3rd & 4th line between Kalyan-Badlapur (14.05 km)**” project under MTUP-III A as a **Special Railway Project** for acquisition of land in Thane District in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. MT/W/366/MRVC-PH. III]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

मुंबई, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 239(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मुंबई शहर परिवहन परियोजना-III A के अंतर्गत “**इएमयु मेंटेनेंस सुविधाएं यांनी भिवपुरी इएमयु कारशेड और पीओएच सुविधाएं**” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु रायगड जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. एमटी/डब्ल्यू/366/एमआरविसि - पीएच. III]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th January, 2021

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “**EMU Maintenance facilities i.e. Bhivpuri EMU Carshed and POH facilities**” project under MTUP-III A as a **Special Railway Project** for acquisition of land in Raigad District in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. MT/W/366/MRVC-PH. III]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)